

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

आदेश

1. भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा भी0भी0 पैट गोदाम निर्माण कार्य की निविदा (पी0 आर0 सं0-005410 (BCD)2020-21) आमंत्रित की गई थी।

उक्त निविदा में श्री समीर कुमार सिंह, संवेदक के द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी के पत्रांक-12 अनु0, दिनांक-05.01.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी के कार्यालय से निर्गत नहीं है। श्री सिंह द्वारा गलत कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित करने के लिए विभागीय निविदा समिति के निर्णय के आलोक में विभागीय निहित प्रक्रिया के द्वारा श्री समीर कुमार के निबंधन सं0-द्वितीय (व्यक्तिगत) 46 (भवन)/2016 को भवन निर्माण विभाग के आदेश पत्रांक-4517(भ), दिनांक-13.08.2021 के द्वारा दिनांक-13.08.2021 के प्रभाव से तीन वर्षों के लिए निलंबित किया गया।

2. उक्त निर्णय/आदेश के आलोक में संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-4125 of 2022 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-10.05.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्नवत् आदेश दिया गया:-

"In View of the submissions made and the grounds mentioned in the petition, the impugned order dated 13.08.2021, passed by Respondent No.-3, namely the Engineer-in- Chief Cum Additional Commissioner Cum Special Secretary Department of Building Construction, Govt. of Bihar, Patna is quashed and set aside, with liberty to the petitioner to approach Respondent No.-3 afresh".

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-4517 दिनांक-13.08.2021 को रद्द किया जाता है।

(विभागीय पत्रांक-3965(भ.) दिनांक-15.06.2022)

3. दिनांक-19.07.2022 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में इस पर पुनः विचार किया गया। विचारोपरांत समिति द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया।

(विभागीय पत्रांक-5710(भ.) दिनांक-11.08.2022)

4. श्री समीर कुमार, संवेदक के द्वारा दिनांक-27.05.2022 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है:-

V.V. PAT गोदाम (वेयर हाउस) के निविदा में मुझे Electrick work एवं P.H.E. work का अनुभव प्रमाण पत्र देना था। मेरे द्वारा किए गए कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र अपने आदमी को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल के कार्यालय से अनुभव प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए भेजा मगर किसी गलत व्यक्ति के झांसे में पर कर गलत अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड करावा दिया।

(संवेदक का पत्रांक-शून्य, दिनांक-27.05.2022)

उपरोक्त कंडिका-5 में उल्लेखित आवेदन में श्री समीर कुमार सिंह के द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि निविदा में संलग्न प्रश्नगत कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र गलत था।

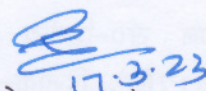
उपरोक्त तथ्यों/ साक्ष्यों से स्पष्ट है कि श्री समीर कुमार सिंह द्वारा निविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी तरीके से कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र तैयार कर निविदा कागजात के साथ समर्पित किया गया।

बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 में संवेदक को काली सूची तथा निलंबन का प्रावधान किया गया है। कंडिका-II काली सूची तथा निलंबन

“(vii) ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिपूर्ति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर”

स्पष्टतः श्री समीर कुमार के द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत/ फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया।

अतः बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के प्रावधानों के आधार पर श्री समीर कुमार के निबंधन सं०-द्वितीय (व्यक्तिगत) 46 (भवन)/2016 को पूर्व की निलंबन अवधि दिनांक-13.08.2021 से दिनांक-15.06.2022 कुल 11 (ग्यारह) माह को घटाते हुए इस आदेश पत्र के निर्गत की तिथि से 02 (दो वर्ष) 01 (एक) माह के लिए पुनः निलंबित किया जाता है।


(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-भवन-13/अभि०प्र०(नि०)-03-निलंबन/कालीकृत-24/2021.....पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि:-संवेदक, Samir Kumar, S/o-Siya Sharan Thakur, Ward no-05, Dumra, Sitamarhi,
Bihar-843301 के निबंधन सं०-द्वितीय (व्यक्तिगत) 46 (भवन)/2016 को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

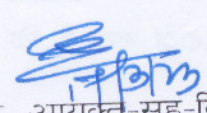
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ज्ञापांक-भवन-13/अभि०प्र०(नि०)-03-निलंबन/कालीकृत-24/2021.....पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ज्ञापांक- भवन-13/अभि०प्र०(नि०)-03-निलंबन/कालीकृत-24/2021.....पटना, दिनांक-25/1/21 20/3/21

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव